<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:- 02ए / 17</u> <u>पुराना व्य.वाद.क. 18ए / 12</u> <u>संस्थापन दिनांक:-22 / 06 / 12</u> फाईलिंग नं. 100018 / 2012

- 1. नवल पिता मोधू, उम्र 22 वर्ष
- 2. विनोद पिता मोधू, उम्र 20 वर्ष
- 3. श्याम औतार पिता मोधू, उम्र 45 वर्ष
- शांती बेवा सरजेराव, उम्र 40 वर्ष सभी निवासी ग्राम तिरमहू, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादीगण

वि रू द्व

- घुड़ीबाई पति अमीलाल पुत्री अमरू, उम्र 65 वर्ष निवासी सेमरया, पोस्ट उमिरया, तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- होरीलाल पिता हिरालाल, उम्र 65 वर्ष दोनों निवासी बिसरामपुर चोपड़ा कॉलोनी, जिला सरगुजा
- 3. गणेश पिता नत्थू डोंगरे, उम्र 36 वर्ष निवासी तिरमहू, लालावाड़ी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 4. कृष्णा पिता केदार गव्हाड़े, उम्र 28 वर्ष निवासी आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 5. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

<u> -: (निर्णय) :-</u>

(आज दिनांक 17.08.2017 को घोषित)

1 वादीगण द्वारा यह दावा ग्राम तिरमहू, तहसील आमला, जिला बैतूल स्थित ख.नं. 352, 492, 494 रकबा क्रमशः 0.041, 3.059, 0.769 हे. कुल रकबा 3.869 हे. (अत्र पश्चात विवादित भूमि) की स्वत्व घोषणा तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप से निषेधित किये जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।

- 2 प्रकरण में यह स्वीकृत है कि विवादित भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान प्रतिवादी क. 02 ढुमला की मृत्यु हो जाने तथा पूर्व से ही उसके वारसान अभिलेख पर होने से उसके नाम को विलोपित किया गया।
- वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मूल पुरूष वारल्या के तीन पुत्र राघो, जागो एवं अमरू थे जिनमें से जागो की निसंतान मृत्यु हुई तथा राघो के पुत्र पांडू तथा पांडू के पुत्र माधो की भी मृत्यु हो चुकी है। माधों की दो पत्नियां इसूकला एवं फूला थी। फूला की मृत्यु हो चुकी है। दोनों पत्नियों से माधो के चार पुत्र नवल, विनोद, श्यामऔतार, सरजेराव हुए जिसमें से सरजेराव की मृत्यु हो चुकी है। वारल्या की भूमियां कर्ज में थीं। राघो, जागो एवं अमरू पर कर्ज था। संपूर्ण कर्ज राघो के पुत्र पांडू के द्व ारा अदा किया गया। इसके बदले में वारल्या के पुत्र अमरू ने विवादित भूमि पर अपना हक पांडु के पक्ष में छोड दिया। इसके पश्चात से सन 1942 से निरंतर वादीगण के पूर्वेज पांड्र का वर्ष 1990 तक शांतिपूर्ण आधिपत्य चला आया। वर्ष 1990 में पांडू की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र मोधू का वर्ष 1997 तक आधिपत्य रहा और मोधू की मृत्यू उपरांत उसके वारसान अर्थात वादीगण शांतिपूर्वक कब्जे में है। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कोई भी स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं रहा परंतु प्रतिवादीगण घुडीबाई एवं होरीलाल तथा लता ने विवादित भूमियों के बंटवारा हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन दिया जिस पर राजस्व अधिकारियों ने बिना वादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश दिनांक 16.05.2012 को कर विवादित भूमियों का बंटवारा कर दिया। इसी बंटवारे का लाभ लेते हुए प्रतिवादी क. 01 एवं 02 ने विवादित भूमियों को बेचने का सौदा प्रतिवादी क. 04 एवं 05 से कर लिया जिससे प्रतिवादी क. 04 एवं 05 वादीगण को बेदखल करने की कोशिश करने लगे। अतः यह दावा विवादित भूमियों की स्वत्व घोषणा एवं प्रतिवादीगण को वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप से निषेधित किये जाने हेत् प्रस्तुत किया गया है।
- 4 प्रतिवादी क. 01, 04 एवं 05 के द्वारा संयुक्त रूप से वाद पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमियों का बंटवारा तहसील न्यायालय से तहसीलदार के आदेश दिनांक 16.05. 2012 के द्वारा हो चुका है। बंटवारे में प्राप्त भूमि अनुसार प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर काबिज काश्त हैं। संपूर्ण भूमियों पर मात्र वादीगण का कब्जा नहीं है। वादीगण ने अपने दावे में सरजेराव की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र राहुल एवं जयराम को पक्षकार नहीं बनाया है। साथ ही इसूकलाबाई जो कि

मोधू की पत्नी है उसे भी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। साथ ही राघों के पुत्र पांडू की पुत्र मोधू के अतिरिक्त पांच पुत्रियां थी। पुत्रियों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए दावे में पक्षकारों का असंयोजन है। वारल्या के पुत्र अमरू के द्वारा कभी भी कोई इकरारनामा लेख नहीं किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा पंजीबद्ध एवं स्टाम्पित न होने से प्रथम दृष्टया फर्जी है जिससे उन्हें कोई भी स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। प्रतिवादीगण के द्वारा दावा प्रस्तुती के पूर्व भी बंटवारे में प्राप्त भूमि का विक्रय मनीषा पित डोंगरे को विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2012 को द्वारा कर दिया गया है जिस पर खरीदी दिनांक से ही प्रतिवादी क. 04 एवं उसकी पत्नी केता मनीषा का कब्जा है। अतः वादीगण के दावे में असंयोजन एवं समयाविध से बाह्य होने के कारण खारिज किया जावे।

5 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्व ारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :—

क.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादीगण विवादित भूमि ग्राम तिरमहू, प.ह.नं. 15, तहसील आमला में स्थित भूमि ख.नं. 352 रकबा 0. 041, ख.नं. 492 रकबा 3.059, ख.नं. 494 रकबा 0.769 कुल रकबा 3.869 हे. भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं ?	
2.	क्या वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?	
3.	क्या वादीगण के वाद पत्र में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?	
4.	क्या वादीगण का वाद समयाविध में प्रस्तुत किया गया है ?	
5.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष वाद प्रश्न क. 01 का निराकरण

- वादीगण का यह अभिवचन है कि विवादित भूमियां मूल पुरूष वारल्या की थी। वारल्या के तीन पुत्र राघो, जागो एवं अमरू थे जिनके उपर कर्ज था। वारल्या के पुत्र अमरू ने कर्ज अदा करने से इनकार किया तथा विवादित भूमि में अपना हक अपने भाई राघो के पुत्र पांडू के पक्ष में छोड़ दिया और इकरारनामा दिनांक 05.03.1942 लेख कर यह इकरार किया कि विवादित भूमियों में अब न उसका और न ही उसके वारसानों का हक रहेगा इसलिए प्रतिवादीगण का विवादित भूमियों पर कोई भी स्वत्व नहीं है। चूंकि संपूर्ण कर्ज राघो के पुत्र पांडू द्वारा अदा किया गया था इसलिए विवादित भूमियों का एकमात्र स्वत्वाधिकारी पांडू हुआ तथा पांडू की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र मोधू का विवादित भूमियों पर स्वत्व हुआ तथा मोधू की मृत्यु उपरांत उसके वारसानों अर्थात वादीगण का एकमात्र स्वत्व है तथा विवादित भूमियों पर निरंतर वादीगण के पूर्वजों का शांतिपूर्ण आधिपत्य चला आ रहा है।
- 7 प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह अभिवचन किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 05.03.1942 फर्जी एवं कूटरचित है। विवादित भूमियों पर मूल पुरूष वारल्या की मृत्यु उपरांत उसके तीनों पुत्र राघो, जागो एवं अमरू स्वत्वाधिकारी हुए। जागो की निसंतान मृत्यु हुई थी। अतः विवादित भूमियों पर राघो एवं अमरू एवं तत्पश्चात उनकी मृत्यु उपरांत राघो के पुत्र पांडू तथा अमरू के वारसानों का स्वत्व चला आया। इस प्रकार विवादित भूमियों पर वादी एवं प्रतिवादीगण का आधा—आधा हक हिस्सा है तथा विवादित भूमियों का तहसील न्यायालय से विधिवत बंटवारा भी दिनांक 16.05.2012 को हो चुका है। उसके आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण विवादित भूमि के आधे—आधे भाग के स्वत्वाधिकारी हुए।
- 8 वादीगण के द्वारा विवादित भूमियों पर अपने पूर्वज पांडू का इकरारनामा दिनांक 05.03.1942 के आधार पर एकमात्र स्वत्व होना एवं तत्पश्चात पांडू के पुत्र मोधू एवं उसकी मृत्यु उपरांत उसके वारसान अर्थात वादीगण का एकमात्र स्वत्व होना बताया गया है तथा इसके संबंध में दस्तावेज इकरारनामा (प्रदर्श पी—1) प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त दस्तावेज को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है।
- 9 दस्तावेज (प्रदर्श पी—1) की साक्ष्य में ग्राह्ता के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 06.12.2016 को वादी विनोद (वा.सा.—1) के अतिरिक्त मुख्य परीक्षण के समय ग्राह्ता के संबंध में आपत्ति की गयी थी। पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय के समय आपत्ति का निराकरण किया जाना सुरक्षित रख

दस्तावेज (जिसका शीर्षक कब्जा बाबत स्टाम्प दिनांक 05.03.1942) को प्रदर्शित करने की अनुमित दी गयी थी। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श पी—1) के संबंध में आयी साक्ष्य पर विचार करने के पूर्व उसके ग्राहता के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा ली गयी आपित्त का निराकरण किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज की ग्राहता पर इस आधार पर आपित्त ली गयी थी कि दस्तावेज (प्रदर्श पी—1) स्टाम्पित नहीं है, अतः वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। साथ ही तर्क के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज के रिजस्टर्ड न होने के कारण दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य न होने का तर्क प्रकट किया गया है।

10 वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श पी—1) का अवलोकन किये जाने से यह प्रकट हो रहा है कि उपर्युक्त दस्तावेज (प्रदर्श पी—1) का शीर्षक "पूरे खेत के विषय का कर्ज बाबत स्टाम्प" लेख है। उपर्युक्त दस्तावेज तीन आने के स्टाम्प पर लेख है। उपर्युक्त रटाम्प के उपर फॉर कॉपीज ओनली लेख है। उपर्युक्त दस्तावेज रिजस्टर्ड नहीं है एवं दस्तावेज में खसरा नंबर एवं उसके रकबे का कोई उल्लेख नहीं है।

किसी भी दस्तावेज की प्रकृति उसके शीर्षक से निर्धारित नहीं की जाती है बल्कि दस्तावेज में उल्लेखित अंतर्वस्तू से ही उसकी प्रकृति का निराकरण होता है। उपर्युक्त दस्तावेज (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से अमरू पिता वारल्या के द्वारा पूरे खेत एवं प्रॉपर्टी पर अपना हक अपने भाई जागो एवं पांडू पिता वारल्या को सौंप दिया जाना लेख है। साथ ही उसमें यह भी लेख किया गया है कि अमरू के द्वारा कर्ज अदा नहीं किया जा रहा है इसलिए उसके द्वारा खेत एवं प्रॉपर्टी पर हक नहीं चाहा जा रहा है। उपर्युक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अमरू के द्वारा किस खेत या प्रॉपर्टी पर हक त्याग की बात कही जा रही है परंतु अमरू, जागो एवं पांडू वारल्या के पुत्र हैं तब यह उपधारित किया जा सकता है कि अमरू के द्वारा अपने पिता की संपत्ति जो कि उसे अपने पिता वारल्या से प्राप्त हुई होगी, पर अपना हक के त्याग की बात उपर्युक्त दस्तावेज पर लेख की गयी हो। इस प्रकार उपर्युक्त दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अमरू के द्वारा संपत्ति पर अपना हक का त्याग किया जाना दर्शित हो रहा है परंतू उपर्युक्त दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत नहीं है। इस संबंध में भारतीय रजिस्ट्रेशन की धारा 17 का अवलोकनीय है। भारतीय रजिस्द्रेशन अधिनियम की धारा 17 उन दस्तावेजों के बारे में उल्लेख करती है जिनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। धारा 17(1)बी यह उपबंधित करती है कि यदि कोई लिखत वसीयत से अन्यथा जो 100 / – रूपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति में हित चाहे वह समाश्रित या निहित हो, सुजित, घोषित, परिसीमित, निर्वापित कर रहा हो तब उसका रजिस्द्रेशन अनिवार्य है।

12 दस्तावेज (प्रदर्श पी—1) के माध्यम से अमरू के द्वारा संपत्ति पर अपने हक का त्याग अपने भाई जागो एवं पांडू के पक्ष में किया जाना दर्शित हो रहा है। स्पष्टतः अमरू का अचल संपत्ति पर हित उपर्युक्त दस्तावेज के माध्यम से निर्वापित हो रहा है। ऐसी दशा में उपर्युक्त दस्तावेज / लिखत का रिजस्ट्रेशन अनिवार्य है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत रोशन सिंह विरुद्ध जेलसिंह ए.आई. आर. 1988 एस.सी. 88 एवं न्याय दृष्टांत दिनेश कुमार विरुद्ध सर्वेश्वरी 2013 (I) M.P.L.J. 28 अवलोकनीय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि जहां किसी दस्तावेज से अधिकार वर्तमान में या भविष्य में सृजित या निर्वापित किये जा रहे हैं तब उसका रिजस्ट्रेशन अनिवार्य है। फलतः उपर्युक्त दस्तावेज / लिखत रिजस्ट्रीकृत न होने के कारण साक्ष्य में अग्राह्य किया जाता है। अतः वादीगण के द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज के संबंध में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जा रहा है।

वादीगण की ओर से दस्तावेज कब्जा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत तिरमहू (प्रदर्श पी-2) प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से विवादित भूमियां एकमात्र वादीगण के आधिपत्य में होना प्रकट हो रही हैं परंत् उपर्युक्त दस्तावेज को वादीगण की ओर से प्रमाणित नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त वादीगण की ओर से राजस्व दस्तावेज मिसल मौजा वर्ष 1917—18 (प्रदर्श पी—6) प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से ख.नं. 441, 443, 444 वारल्या के पुत्र राघो, अमरू एवं जोगो के नाम पर दर्ज होना तथा दस्तावेज खसरा वर्ष 1964—65 (प्रदर्श पी—8) के अवलोकन से ख.नं. 443 एवं 444 महंगी पत्नी अमरू, नरबदी पत्नी कन्हई एवं पांडू पिता राघो के नाम पर दर्ज होना तथा दस्तावेज अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 (प्रदर्श पी-7) के अवलोकन से उपर्युक्त खसरा नंबरों के नवीन नंबर 352, 492, 494 होना एवं उपर्युक्त विवादित भूमियां महंगी पत्नी अमरू, नरबदी पत्नी कन्हई एवं पांडू पिता राघो के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज खसरा एवं किश्तबंदी वर्ष 2010-11 क्रमशः प्रदर्श डी-2 एवं प्रदर्श डी-3 के अवलोकन से विवादित भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त शामिलाती दर्ज होना प्रकट हो रही हैं। स्पष्टतः विवादित भूमियां मूल पुरूष वारल्या के पुत्र राघो की मृत्यु उपरांत पांडू एवं तत्पश्चात उसके पुत्र मोधू एवं उसकी मृत्यु उपरांत वादीगण के नाम पर आना तथा वारल्या के पुत्र अमरू की मृत्यू उपरांत उसके वारसानों अर्थात प्रतिवादीगणों के नाम पर आना प्रकट हो रही हैं।

14 प्रतिवादीगण का यह कहना है कि विवादित भूमियों पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आधा—आधा हिस्सा है और इसी अनुरूप विवादित भूमियों का बंटवारा तहसील न्यायालय से भी विधिवत हो चुका है। विवादित भूमियों का विधिवत विभाजन तहसील न्यायालय से दिनांक 16.05.2012 को हो जाने के बाद प्रतिवादीगण ने दावा प्रस्तुती के पूर्व ही अपने हिस्से में आयी

भूमियों का विक्रय कर दिया है तथा वादीगण ने भी दावा प्रस्तुती के बाद विवादित भूमियों का विक्रय किया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तृत दस्तावेज किश्तबंदी एवं खसरा वर्ष 2014-15 क्रमशः प्रदर्श डी-4 एवं प्रदर्श डी-5 के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 352/1, 494/1 रकबा क्रमशः 0.020, 0.385 हे. मनीषा पति गणेश के नाम पर तथा किश्तबंदी एवं खसरा वर्ष 2012-13 प्रदर्श डी-6, प्रदर्श डी-7, प्रदर्श डी-8, प्रदर्श डी-9 के अवलोकन से ख.नं. 492 / 1 रकबा 0.483 हे. गणेश के नाम पर दर्ज होना तथा किश्तबंदी एवं खसरा वर्ष 2016–17 प्रदर्श डी–10 एवं प्रदर्श डी–11 के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 492/4 रकबा 0.405 हे. दिलीप के नाम पर तथा किश्तबंदी वर्ष 2016-17 प्रदर्श डी-12, 13 एवं 14 के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 492 / 5 एवं 494 / 3 रकबा क्रमशः 0.307, 0.192 हे. शैलेश के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है। स्वयं वादी साक्षी विनोद (वा.सा.-1) एवं नवल (वा.सा. -2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उनके द्वारा दावा चलने के दौरान विवादित भूमि दिलीप पिता मारोती एवं शैलेश पिता संतोष को विकय की गयी है। साथ ही यह भी बताया है कि विक्रय कर दिये जाने के कारण मौके पर अब उनका कोई हिस्सा नहीं बचा है. मात्र वादी सरजेराव का हिस्सा बचा है।

विवादित भूमियां वर्ष 2010-11 तक वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त शामिलाती दर्ज रही। वारल्या के तीन पुत्र राघो, जागो एवं अमरू थे जिनमें से जागो की निसंतान मृत्यू हो जाने के कारण राघो एवं अमरू वारल्या की संपत्ति के बराबर-बराबर स्वत्वाधिकारी हुए, अर्थात विवादित संपत्ति पर राध गो तथा अमरू का आधा–आधा हिस्सा हुआ। प्रतिवादीगण अमरू के वारसान है। अतः अमरू का आधा हिस्सा उन्हें प्राप्त होगा तथा आधा हिस्सा राघो की मृत्यू उपरांत उसके पुत्र पांडू को प्राप्त होगा। पांडू का पुत्र माधो है व उसकी पांच पुत्रियां होना वादी नवल एवं विनोद ने अपनी साक्ष्य में बताया है। साथ ही दस्तावेज प्रदर्श डी–16 जो कि इसूकला द्वारा उपर्युक्त विवादित भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुलताई के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया वाद पत्र है, उसके अवलोकन से भी पांडू की पांच पुत्रियां जयवंती, श्यामवंती, संतरी, शांता एवं गुंता होना प्रकट हो रही हैं। अतः विवादित भूमि का आधा भाग जो पांडू को प्राप्त होगा, वह प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में उसकी मृत्यु उपरांत उसकी संतानों अर्थात पुत्र माधो एवं पांचों पुत्रियों को प्राप्त होगा। चूंकि वादीगण माधो के उत्तराधिकारी हैं, अतः माधो की मृत्यु उपरांत उसके उत्तराधिकारी अर्थात पत्नियां एवं पुत्र—पुत्री माधो की बहनों के साथ विवादित भूमि के आधे भाग के स्वत्वाधिकारी होंगे, अर्थात वादीगण का विवादित भूमि पर जो भी हित होगा वह पांडू को प्राप्त आधे हिस्से तक ही सीमित होगा।

16 प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि का बंटवारा तहसील न्यायालय से दिनांक 16.05.2012 को हो जाने का अभिवचन किया है। आदेश दिनांक 16.05. 2012 (प्रदर्श पी-5) के अवलोकन से प्रकट है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत बंटवारे प्रकरण में वादीगण पर सूचना की तामिली उपरांत मात्र नवल उपस्थित हुआ था परंतू उसकी ओर से आवेदन का कोई जवाब नहीं दिया गया था। तत्पश्चात वादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी साक्षियों ने बंटवारा प्रकरण तहसील न्यायालय में चलने की जानकारी होना अपनी साक्ष्य में बताया है। अतः बंटवारा आदेश विधिवत माना जायेगा। उपर्युक्त बंटवारा आदेश के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादीगण को विवादित भूमियों पर आधा-आधा हिस्सा प्राप्त होना प्रकट होता है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि बंटवारा आदेश वादीगण को सुने बिना किया गया तब भी उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना अनुसार वादीगण के द्वारा विवादित भूमियों पर इकरारनामा (पूरे खेत के विषय का कर्ज बाबत स्टाम्प) दिनांक 05.03.1942 (प्रदर्श पी-1) के आधार पर अपना एकल स्वत्व प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः विवादित भूमियों पर वादीगण का स्वत्व माधो के उत्तराधिकारी होने के कारण माधो की बहनों के साथ पांडू को प्राप्त आधे हिस्से पर ही होना प्रमाणित पाया जाता है। उपर्युक्तानुसार वाद प्रश्न क. 01 उपर्युक्तानुसार निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 02 का निराकरण

वादीगण वाद प्रश्न क. 01 के निष्कर्षानुसार विवादित भूमियों पर अपना एकल स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा विधिवत बंटवारे उपरांत उनके हिस्से में आयी भूमि का विक्रय प्रतिवादी गणेश एवं कृष्णा को विधिवत प्रतिफल प्राप्त करने के उपरांत किया गया है। तत्पश्चात उन्हें कब्जा भी सौंप दिया गया है। प्रतिवादी क. 04 एवं 05 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिये जाने के उपरांत उनका राजस्व अभिलेखों में नाम भी दर्ज हो गया है।

18 वादीगण का विवादित भूमियों पर एकमात्र स्वत्व एवं एकल आधिपत्य प्रमाणित नहीं पाया गया है। स्वयं वादी विनोदं (वा.सा.—1) एवं नवल (वा.सा.—2) ने यह बताया है कि उन्होंने दावा चलने के दौरान अपने हिस्से की जमीन बेच दी है, केवल वादी श्याम औतार एवं शांतिबाई का हिस्सा बचा है। साक्षी नवल (वा.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 31 में यह बताया है कि श्याम औतार का एक एकड़ पच्चीस डिसमिल और शांतिबाई का भी एक एकड़ पच्चीस डिसमिल पर कब्जा है। चूंकि वादीगण का विवादित भूमियों के आधे भाग पर ही स्वत्व प्रमाणित हुआ है। शेष आधे भाग के स्वत्वाधिकारी प्रतिवादीगण घुड़ी, होरीलाल हैं। उन्हें अपने स्वत्व की भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है तथा केतागण को विधिवत आधिपत्य भी उनके द्वारा सौंपा जा चुका है। ऐसी कोई मौखिक साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं है कि जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रतिवादीगण, वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अतः वादीगण स्थायी

निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते हैं। तदानुसार वाद प्रश्न क. 02 ''नहीं' के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 03 का निराकरण

19 प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दावा प्रस्तुती के पूर्व मनीषा पित गणेश डोंगरे को दिनांक 01. 06.2012 को विवादित भूमियों में से कुछ अंश का विकय किया गया है जिसे वादीगण ने पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है जिससे दावे में पक्षकारों का असंयोजन है। इसके अलावा वादीगण के द्वारा मोधू की पत्नी इसूकलाबाई अर्थात वादीगण नवल और विनोद की मां को पक्षकार नहीं बनाया गया है। साथ ही पांडू की पुत्रियों अर्थात मोधू की बहनों को भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। विवादित भूमियों पर इन सभी का हित है।

प्रतिवादीगण ने केता मनीषा को भी आवश्यक पक्षकार होना अपने जवाबदावे में बताया है परंतु वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के द्वारा किये गये विक्रय को विवादित नहीं किया गया है न ही विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराये जाने की सहायता चाही गयी है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के क्रेतागण आवश्यक पक्षकार नहीं माने जा सकते। वादीगण ने अपने दावें में इसूकलाबाई को लापता हो जाना बताया है तथा पांडू की पुत्रियों के संबंध में कोई भी अभिवचन नहीं किये हैं। इसूकलाबाई को वादीगण की ओर से वादी साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है। वादी साक्षी नवल (वा.सा.-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 12 में यह बताया है कि उनकी मां इस्कलाबाई अपने दोनों बेटे नवल और विनोद के साथ ग्राम तिरमहू में रहती है। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि जिस समय दावा पेश किया गया था उस समय वह बीमार थी और कटनी में मौसी के पास रहती थी। इसूकलाबाई (वा.सा.-5) ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि वह और उसका पुत्र नवल ग्राम तिरमहू में एक साथ रहते हैं। चूंकि इस्कलाबाई मोधू की पत्नी हैं। मोधू के उत्तराधिकारी होने के कारण उसका विवादित भूमि पर हित है परंतु वादीगण ने अपने दावे में इसुकलाबाई को पक्षकार नहीं बनाया है।

वादी नवल (वा.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 12 में ही यह बताया है कि मोधू की दूसरी पत्नी फूलाबाई के दो लड़के वादी श्याम औतार एवं सरजेराव तथा एक पुत्री शिवकलीबाई है। इसूकलाबाई (वा.सा.—5) ने भी अपने कथनों में यह बताया है कि फूलाबाई के दो लड़के और एक लड़की थी। लड़की का नाम शिवकलीबाई है जो अभी जीवित है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में फूलाबाई का पुत्र श्यामऔतार वादी क. 03 के रूप में तथा सरजेराव की पत्नी शांति वादी क. 04 के रूप में पक्षकार हैं परंतु वादीगण के द्व ारा फुलाबाई की पुत्री को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि विवादित भूमि पर

फूलाबाई के पुत्रों के साथ—साथ उसकी पुत्री का भी हित है। वादीगण ने अपने दावे में पांडू का एक पुत्र मोधू होना बताया है परंतु पांडू की पुत्रियों के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किये हैं और नहीं उन्हें पक्षकार के रूप में संयोजित किया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज (प्रदर्श डी—16) जो कि वादीगण की ओर से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, मुलताई के समक्ष विवादित संपत्ति के संबंध में प्रस्तुत वाद पत्र है, उसके अवलोकन से वादीगण के द्वारा पांडू की पुत्री जयवंती, श्यामवंती, संतरी, शांता एवं गुंता को प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया जाना तथा विवादित भूमियों का वादीगण एवं उपर्युक्त प्रतिवादीगण (पांडू की पुत्रियों) की संयुक्त शामिलाती होने का अभिवचन किया है। स्पष्टतः पांडू की पुत्रियों का भी विवादित भूमियों पर हित है जिन्हें भी वादीगण के द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। माधो की पत्नी इसूकलाबाई उसकी दूसरी पत्नी फूलाबाई की पुत्री शिवकली एवं माधो की बहनें विवादित भूमियों की हिताधिकारी होने के कारण वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि दावे में पक्षकारों का असंयोजन है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 03 "हां" के रूप में निष्कर्षित किये जाते है।

वाद प्रश्न क. 04 का निराकरण

वादीगण ने अपने वाद पत्र में वाद कारण बंटवारा आदेश दिनांक 16.05.2012 के उपरांत उत्पन्न होना बताया है। प्रतिवादी घुड़ी के द्वारा भी बंटवारे के बाद ही विवादित भूमियों का विक्रय किया गया है। इसके पश्चात ही वादीगण ने केता प्रतिवादीगण गणेश एवं कृष्णा के द्वारा उनके आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जाना बताते हुए वाद कारण उत्पन्न होना बताया है। वादीगण के द्वारा यह दावा वर्ष 2012 में ही प्रस्तुत कर दिया गया है। वादीगण ने स्वत्व ६ वाषणा एवं स्थायी निषधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। अर्थात वाद कारण उत्पन्न होने के दिनांक से तीन वर्ष की समयावधि के भीतर वादीगण ने स्वत्व की ६ वाषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा समयावधि में होना प्रमाणित पाया जाता है। तदानुसार वाद प्रश्न क. 04 "हां" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 05 का निराकरण

23 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार वादीगण इकरारनामा (पूरे खेत के विषय का कर्ज बाबत स्टाम्प) दिनांक 05.03.1942 (प्रदर्श पी—1) के आधार पर विवादित भूमियों पर अपना एकल स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहे हैं परंतु वादीगण का उनके पूर्वज पांडू को प्राप्त आधे हिस्से पर उसके अन्य उत्तराधिकारियों के साथ स्वत्व होना प्रमाणित पाया गया है परंतु वादीगण ने अपने दावे में तथ्यों का छिपाव किया है। साथ ही वादीगण ने विवादित भूमियों के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत किये गये दावे के संबंध में

अभिवचन नहीं किया है। दावे में पक्षकारों का असंयोजन भी है। वंशवृक्ष भी अधूरा बताया गया है। स्वयं वादीगण के द्वारा प्रकरण के लंबन के दौरान विवादित भूमियों का विकय भी किया गया है जिसके संबंध में वादीगण ने अपने वाद पत्र में संशोधन के माध्यम से अभिवचन नहीं किया है तथा वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं पाये गये हैं। फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा निरस्त किया जाता है तथा निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है।

- 1. वादीगण का विवादित भूमि ग्राम तिरमहू, तहसील आमला, जिला बैतूल स्थित ख.नं. 352, 492, 494 रकबा क्रमशः 0.041, 3.059, 0.769 हे. कुल रकबा 3.869 हे. के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत दावा निरस्त किया जाता है।
- 2. वादीगण स्वयं के साथ—साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे।
- 3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल